

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-2/(आई-1)/2017/

दिनांक-

संयोजक,

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,

सैक्टर 18, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर,

टॉक रोड, जयपुर।

विषय:- सत्र 2017-18 में पोस्ट बेसिक बी0एससी(नर्सिंग) परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदन पत्र अग्रेषित किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसंधान में राज्य सेवा में नर्सिंग संवर्ग में कार्यरत कार्मिका के पोस्ट बैसिक बी0एससी(नर्सिंग) परीक्षा वर्ष 2017-18 में बैठने की अनुमति देने हेतु प्राप्त आवेदन पत्र की हार्ड कापी मूल ही अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है:-

क्र0स0	नाम कर्मचारी एवम पद	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथी
1	श्रीमती इन्द्रा देवी नर्स-2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर	11.08.2009

संलग्न:- मूल आवेदन पत्र 01

-/-

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर

दिनांक- 27.7.2017

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-2/(आई-1)/2017/ 592

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्मिका को आवेदन पत्र निम्न शर्तों पर अग्रेषित किया जा रहा है:-

शर्तें:-

1- उक्त प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।

2- प्रशिक्षण समाप्त होने पर कार्मिका तुरन्त विभाग में अपनी उपस्थिति देगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

3- कार्मिक प्रशिक्षण के उपरान्त किसी भी प्रकार की पदोन्नति/वित्तीय लाभ अथवा उच्च पद वेतनमान की मांग नहीं करेगी।

4- राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगी।

5- नियमानुसार स्वयं का अवकाश/अध्ययन अवकाश स्वीकृत कराना होगा। व इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यह अध्ययन स्वयं के बकाया अवकाश/अध्ययन अवकाश पर करेंगे। प्रतिनियुक्ति मांग नहीं करेंगे। नियमानुसार बन्ध पत्र भरना होगा।

6- संविदा/प्रोबेशन पर कार्यरत कर्मी उक्त प्रशिक्षण में चयन होने पर पात्र नहीं माने जावेंगे।

2- सम्बन्धित कार्मिक को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।

3- प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर